एकलपीठ अवमानना याचिका संख्या- 454/2003
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-383/2000

22.12.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री अजीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री निर्मल कुमार मालू,अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस्।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश का अनुशीलन किया गया।

इस न्यायालय द्वारा जो विवादित सम्पति के सम्बन्ध यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है उसमें तथ्य सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, जिनका निस्तारण इस अवमानना याचिका में नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण को स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वह उचित समझें तो विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-39 नियम 2(A) के अन्तर्गत इस आदेश का विवेचन करा सकेगें एवं आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें।

उक्त निर्देश के साथ यह अवमानना याचिका निस्तारित की जाती है। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जाते हैं।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)